न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी	अक्षय गोदारा आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 8/रेगूलर/2024 (GCMS No. 2024/241)	23.12.2024	25.03.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन अधिकारी,
रसद कार्यालय, बून्दी

— प्रार्थी

बनाम

श्री नन्दलाल प्रजापत पुत्र प्रेम
मैनेजर, मेवाड केसरी रेस्टोरेंट,
निवासी बाईपास रोड, बून्दी जिला बून्दी (राज.)

— अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित—
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार (रसद विभाग)।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

यह कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6—''ए'' आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रवर्तन अधिकारी, बून्दी द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत कर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने से जप्त शुदा गैस सिलेण्डर के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

कार्यवाही प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 08/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/241 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी स्वयं दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित न्यायालय आया, किन्तु आगामी नियत पेशी दिनांक 25.02.2025 को अप्रार्थी के इस न्यायालय के उपस्थित नहीं आने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि दिनांक 11.12.2024 को बाईपास रोड बून्दी पर स्थित मेवाड केसरी रेस्टोरेन्ट के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त रेस्टोरेन्ट पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। मौके पर उपस्थित रेस्टोरेन्ट मैनेजर नन्दलाल पुत्र प्रेम प्रजापत से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग के विषय में जानकारी चाहे जाने पर उनके द्वारा इस विषय में कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। वक्त जांच नन्दलाल के पास घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करने का कोई वैध लाईसेन्स होना नहीं मिला तथा उक्त एलपीजी सिलेण्डर को कब्जे में रखे जाने के कोई वैध दस्तावेज भी नहीं मिलने से उनकी अनियमितता बखूबी साबित होती है। अतः घरेलू सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग का कोई ठोस कारण नहीं देने के कारण भारत गैस के उक्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 16.00 कि.ग्रा. गैस को जब्त किया गया। मौके पर फर्द अधिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा तैयार कर उक्त जप्त घरेलू गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय गैस एजेंसी अमर शहीद गैस एजेन्सी के मैनेजर गणेश सिंह की सिपुर्दगी में दिया गया। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण और विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के राजसात किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया, जिससे जाहिर है कि अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अपने रेस्टोरेन्ट में व्यवसायिक उपयोग किया गया है इस तथ्य की पुष्टि फर्द जप्ति व फर्द सिपुर्दगी की मौका जांच से होती है जिस पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करना नियम विरूद्व है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 एवं 4 का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा गैस सिलेण्डर एसआर नम्बर 398808 BPCL गैस सहित शुद्ध वजन 16.00 कि.ग्रा. के राजसात किये जाने के आदेश दिया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी बून्दी को आदेश दिये जाते हैं कि वह उक्त राजसात किये गये 1 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस के नियमानुसार वापस कम्पनी को लौटाये जाने की नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्तानुसार अविलम्ब पालना की जाकर पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश आज दिनांक 25.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी